संख्या–441/9–आ–4–99

प्रेषक,

**अतुल कुमार गुप्ता,**
**सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**
   **उत्तर प्रदेश।**
2. **उपाध्यक्ष,**
   **विकास प्राधिकरण**
   **लखनऊ/देहरादून**

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 29 जनवरी, 1999

**विषय :– नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनाँक 1–12–98 के संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या– 2268/9–आ–4–98–704 एन0/97 दिनाँक 1–12–98 में फ्री–होल्ड आवेदन पत्र के साथ फ्री–होल्ड हेतु देय धनराशि का 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रतिलिपि के साथ आवेदन पत्र देने की व्यवस्था की गयी है इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन जनपदों में सक्रिल रेट दिनाँक 30–11–90 से 29–11–91 के मध्य परिवर्तित हुए हैं वहाँ स्व–मूल्यांकन की धनराशि सक्रिल रेट में 30 प्रतिशत की छूट देते हुए आकलित नहीं की जायेगी। 30 प्रतिशत की छूट फ्री–होल्ड हेतु देय धनराशि पर ही अनुमन्य होगी। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि फ्री–होल्ड हेतु शुद्ध देय धनराशि में समायोजित की जायेगी।

उर्पयुक्त के अतिरिक्त मुझे आपको यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 1–12–98 के माध्यम से नजूल भूमि के फ्री–होल्ड की नीति दिनाँक 1–12–98 से 31–1–99 तक लागू की गई थी अर्थात इस नीति के तहत आवेदन पत्र 31.1.99 तक ही स्वीकार किये जा सकते थे। चूँकि दिनाँक 31–1–99 को सार्वजनिक अवकाश (रविवार) पड़ रहा है। अतः फ्री–होल्ड हेतु आवेदन पत्र दिनाँक 1–2–99 तक स्वीकार किये जायें।

**भवदीय,**
**अतुल कुमार गुप्ता,**
**सचिव।**

पृष्ठ संख्या–441(1)/9–आ–4–99/ तददिनाँक।

प्रतिलिपि – समस्त मण्डलायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त व्यवस्था से अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अविलम्ब फैक्स/दूरभाष से अवगत कराने का कष्ट करें।

**आज्ञा से,**
**राजकुमार सिंह**
**अनुसचिव।**